

18.02.25

पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित।
अप्रार्थीगण को रुक-रुक कर तीन बार
आवाज बिलवाई गई। कोई उपस्थित नहीं
होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
अमल में लाई जाती है।
प्रार्थी अधिवक्ता ने एकपक्षीय बहस कर
निवेदन किया कि मौजा ग्रानेलिया परिवार
मंडल खुंदाक के खसरा सं. 2133/243
रकबा 0.8190 है। कुल प्रार्थी व अप्रार्थी
सं. 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी आया
हुआ है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा
आदेशिका दिनांक 16.12.24 को दिये
गये तर्कों को दोहराते हुए प्रकरण
में अर्थात् निषेधाज्ञा जारी करने का
निवेदन किया।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की
एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली
में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया।
प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार वादग्रस्त आराजी
संयुक्त खातेदारी होना सिद्ध होता है। अतः
प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का
संतुलन व अप्रार्थी शक्ति का सिद्धांत प्रार्थी
के पक्ष में प्रथम दृष्टया सिद्ध होता है।

सहायक जलेंक्टर, सांची
(उपखण्ड अधिकारी, सांची)
P.T.C

Continue...

मु.नं. 100/2029

शतः अस्थायी निवेद्याजा जारी करना अधिक
मानता है।

—!आदेश!—

शतः मौजा नैलिगा पटवार हल्का गुंदाक
तहसील सांचौर के ख.नं. 2133/243
रकबा 0.8190 हेक्टेयर आराजी की
अप्राची सं. 01 राजस्व रेकॉर्ड व मौजे
की यथास्थिति बनाये रखेंगे। इस
आशय की अस्थायी निवेद्याजा जारी
की जाती है। इस आशय से अप्राची
सं. 1 मूल वाड के निस्तारण तक
पाबंद रहेंगे। पत्रावली फंसल शुभार
होकर नंबर से कम हो।

पुनः
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(सप्लेण्ड अधिकारी, सांचौर)